दिनांकः—26.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 150 दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. नसीबा पुत्री नूरूखां पत्नी आदम खां जाति मुसलमान निवासी गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. इलियास खां पुत्र नूरूखां
2. खानू खां पुत्र नूरूखां
3. सदीक खां पुत्र नूरूखां
4. अनवर खां पुत्र समदा खां
5. आचार खां पुत्र समदा खां
6. कादरखां पुत्र समदा खां
7. मजूंरखां पुत्र समदा खां
8. जमीयत खां पत्नी समदा खां
9. रहीमा पुत्री नूरूखां पत्नी अमीर खां
10. ईशाक पुत्र हसन
11. कंडा खां पुत्र बादलखां
12. काजीखान पुत्र बादलखां
13. खादम खां पुत्र शेखू
14. गोराम पुत्र शेखू
15. तैयब खां पुत्र शेखू
16. भानी पत्नी हसन
17. मारियत पत्नी बादलखां
18. माली पुत्र शेखू
19. शकूरखां पुत्र बादल खां
20. शखी खान पुत्र बादल खां
21. सदीक पुत्र हसन
22. सरादीन पुत्र शेखू
23. सहूका पुत्र शेखू
24. हकीम पुत्र हसन
25. हेयात पूत्र हसन
26. हाकम पुत्र समदा खां
27. हाजी पुत्र शेखू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति मुसलमान निवासी गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

28. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी
30. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
31. तहसीलदार गुड़ामालानी

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते प्रारम्भिक डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा पेश कर निवेदन किया गयाः—
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

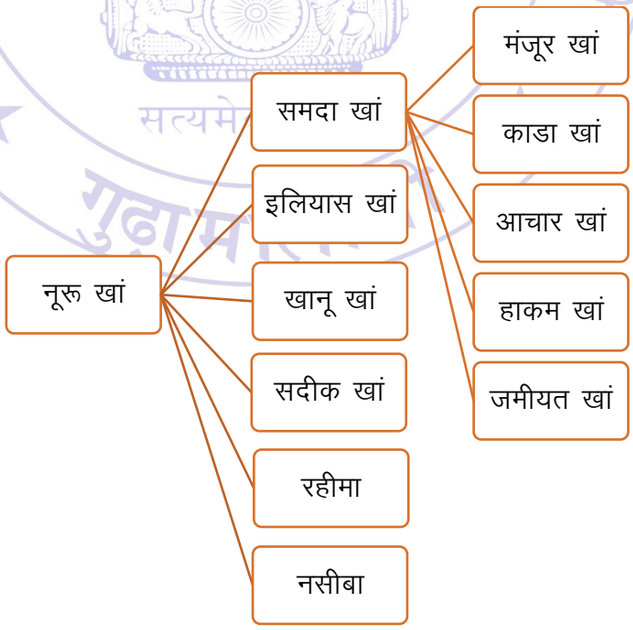

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 345/3/27.7938 है0, 345/5/0.2671 है0, 389/6.6045 है0, 412/0.1133 है0, 413/42.0872 है0, 421/2/0.6637 है0 कुल रकबा 77.5296 है0 मौजा गोरामाणियों की ढाणी में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी का मूल खातेदार नुरूखां था। नुरूखां के चार पुत्र समदाखां, इलियासखां, खानुखां, सदिकखां व दो पुत्रियां रहिमा व नसीबा वारिसान है। समदाखां की मृत्यु होने के कारण प्रतिवादी संख्या 04—08 वारिसान है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादी का 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01—08 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 09 का 1/40 हिस्सा निहित है। उक्त पक्षकारान मुतनाजा आराजी पर इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।
- कि वर्ष 2007 में मूल खातेदार नुरूखां निर्वसीयती फौत हो गए। नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किया गया। जबकि नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ—साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 09 के नाम भी दर्ज किया जाना था। परंतु नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किए जाने से वादी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पर वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही संयुक्त आराजी का विभाजन करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। तत्पश्चात् वादी द्वारा विभाजन की इश्तद्दुआ को प्रत्याहारित किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में निम्न अनुतोष हैः—

    1. *आया वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है?*

    (जिम्मे वादीनी)

    2. *आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी हैं?*

    (जिम्मे वादी)

    3. अन्य सहायता.....

    (.....जिम्मे उभय पक्षकारान)

3. प्रकरण में विचारण आरंभ किया गया तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 08 मौजा गोरामाणियों की ढाणी	प्रदर्श पी—01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व नक्शा मौजा गोरामाणियों की ढाणी	प्रदर्श पी—02
नामांतरकरण संख्या 166 मौजा गोरामाणियों की ढाणी	प्रदर्श पी—03
जाति प्रमाण पत्र संख्या 22483130141	प्रदर्श पी—04
भामाशाह कार्ड	प्रदर्श पी—05ए
भामाशाह कार्ड	प्रदर्श पी—06ए

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
नसीबा पुत्री नूरूखान	मुसलमान	गोरामाणियों की ढाणी	पी0डब्ल्यू—1
जमाल पुत्र आमद खां	मुसलमान	गोरामाणियों की ढाणी	पी0डब्ल्यू—2

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
   - कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 345/3/27.7938 है0, 345/5/0.2671 है0, 389/6.6045 है0, 412/0.1133 है0, 413/42.0872 है0, 421/2/0.6637 है0 कुल रकबा 77.5296 है0 मौजा गोरामाणियों की ढाणी में अवस्थित है।
   - कि उक्त आराजी का मूल खातेदार नुरूखां था। नुरूखां के चार पुत्र समदाखां, इलियासखां, खानुखां, सदिकखां व दो पुत्रियां रहिमा व नसीबा वारिसान है। समदाखां की मृत्यु होने के कारण प्रतिवादी संख्या 04—08 वारिसान है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादी का 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01—08 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 09 का 1/40 हिस्सा निहित है। उक्त पक्षकारान मुतनाजा आराजी पर इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।
   - कि वर्ष 2007 में मूल खातेदार नुरूखां निर्वसीयती फौत हो गए। नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किया गया। जबकि नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ—साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 09 के नाम भी दर्ज किया जाना था। परंतु नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किए जाने से वादी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पर वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।
   - कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही संयुक्त आराजी का विभाजन करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

कि वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के साथ ही संयुक्त आराजी का विभाजन करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

7. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

   1. *आया वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

   .....*वादीगण*

8. प्रकरण में प्रथम अनुतोष वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष मुतनाजा आराजी पर वादी के 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने से संबंधित है।

9. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि उक्त आराजी का मूल खातेदार नुरूखां था। नुरूखां के चार पुत्र समदाखां, इलियासखां, खानुखां, सदिकखां व दो पुत्रियां रहिमा व नसीबा वारिसान है। समदाखां की मृत्यु होने के कारण प्रतिवादी संख्या 04—08 वारिसान है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादी का 1/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01—08 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 09 का 1/40 हिस्सा निहित है। उक्त पक्षकारान मुतनाजा आराजी पर इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।

10. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किया गया। जबकि नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ—साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 09 के नाम भी दर्ज किया जाना था। परंतु नुरूखां की विरासत का नामांतरकरण संख्या 166 केवल प्रतिवादी संख्या 01—04 के नाम दर्ज किए जाने से वादी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि के तहत पिता की संपति विरासत में समस्त जीवित पुत्रों व जीवित पुत्रियों को प्राप्त होती है। पिता की संपति में विरासत में पुत्रों को पुत्रियों से दुगुना हिस्सा तथा पुत्रियों को पुत्रों की तुलना में आधा हिस्सा प्राप्त होता है। प्रकरण में वादी नुरूखां की पुत्री है। प्रकरण में नुरूखां की संपति में विरासत में पुत्रों को प्रत्येक को 1/5 हिस्सा तथा पुत्रियों को प्रत्येक को 1/10 हिस्सा प्राप्त होना कानूनन उचित था। परंतु नुरूखां की विरासत अकेले पुत्रों के नाम पुत्रियों के हकों को नजरअंदाज करते हुए गलत दर्ज की गई। इस आधार पर वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

11. प्रकरण में वादी का प्रकरण इस प्रकार भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात आगे पैरवी करने से अनुपस्थित रहे है। जबकि प्रतिवादी को अपने विरूद्ध विचाराधीन न्यायिक कार्यवाही का भली भांति संज्ञान है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी की अनुपस्थिति एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति प्रतीत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

होती है। इस आधार पर वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण अनुतोष संख्या 01 को साबित करने में सफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

12. अब प्रकरण में द्वितीय अनुतोष का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैंः—

> *2. आया वादीनी बाद घोषणा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी है।*
>
> *.....वादीगण*

13. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर विधिक विभाजन करवाने के पश्चात कब्जे स्पष्ट है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

15. प्रकरण में इस प्रकार नुरूखां की संपति में विरासत में पुत्रों को प्रत्येक को 1/5 हिस्सा तथा पुत्रियों को प्रत्येक को 1/10 हिस्सा प्राप्त होना कानूनन उचित था। परंतु नुरूखां की विरासत अकेले पुत्रों के नाम पुत्रियों के हकों को नजरअंदाज करते हुए गलत दर्ज की गई। इस आधार पर वादी मुतनाजा आराजी पर 1/40 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 345/3/27.7938 है0, 345/5/0.2671 है0, 389/6.6045 है0, 412/0.1133 है0, 413/42.0872 है0, 421/2/0.6637 है0 कुल रकबा 77.5296 है0 मौजा गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में वादी को 1/40 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 26.05.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः—26.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 150 दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. नसीबा पुत्री नूरूखां पत्नी आदम खां जाति मुसलमान निवासी गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. इलियास खां पुत्र नूरूखां
2. खानू खां पुत्र नूरूखां
3. सदीक खां पुत्र नूरूखां
4. अनवर खां पुत्र समदा खां
5. आचार खां पुत्र समदा खां
6. कादरखां पुत्र समदा खां
7. मजूंरखां पुत्र समदा खां
8. जमीयत खां पत्नी समदा खां
9. रहीमा पुत्री नूरूखां पत्नी अमीर खां
10. ईशाक पुत्र हसन
11. कंडा खां पुत्र बादलखां
12. काजीखान पुत्र बादलखां
13. खादम खां पुत्र शेखू
14. गोराम पुत्र शेखू
15. तैयब खां पुत्र शेखू
16. भानी पत्नी हसन
17. मारियत पत्नी बादलखां
18. माली पुत्र शेखू
19. शकूरखां पुत्र बादल खां
20. शखी खान पुत्र बादल खां
21. सदीक पुत्र हसन
22. सरादीन पुत्र शेखू
23. सहूका पुत्र शेखू
24. हकीम पुत्र हसन
25. हेयात पूत्र हसन
26. हाकम पुत्र समदा खां
27. हाजी पुत्र शेखू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जाति मुसलमान निवासी गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

28. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी
30. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
31. तहसीलदार गुड़ामालानी

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 345/3/27.7938 है0, 345/5/0.2671 है0, 389/6.6045 है0, 412/0.1133 है0, 413/42.0872 है0, 421/2/0.6637 है0 कुल रकबा 77.5296 है0 मौजा गोरामाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में वादी को 1/40 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.03 13:21:26 IST
Reason: SelfAttested